

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण सं0 226/2009

राज्य

बनाम

हीरेन्द्र सिंह आदि

थाना बकैवर, इटावा।

09.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त संजय सिंह जमानत पर है और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से हाजिरी माफी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।


यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है, परन्तु बार बार आदेश पारित करने के बावजूद भी पी0डब्लू0-1 वेद कुमारी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट का निष्पादन सुनिश्चित नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाना के पैरोकार बार बार दूरभाष पर बुलाये जाने पर उपस्थित नहीं आये, इस समय 11.30 बजे हो चुके हैं। सम्बन्धित पैरोकार का उक्त कृत्य उसकी लापरवाही को दर्शित करता है।

पी0डब्लू01 वेद कुमारी के पेश न किए जाने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है। उक्त साक्षी के न्यायालय के आदेश दि0 17.05.2019 द्वारा अग्रिम जिरह हेतु तलब किया गया है, परन्तु आज तक उसे पेश नहीं किया गया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों में सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर उपरोक्त साक्षी के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

पत्रावली में दिनांक 22.10.2019 वास्ते जिरह पी0डब्लू0-1 वेद कुमारी पेश हो। पी0डब्लू0-1 वेद कुमारी के विरुद्ध पूर्वादेशानुसार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जाये।

आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

09.10.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 269 /2013

राज्य

बनाम

शिवकुमार आदि

थाना लवेदी,इटावा।

11.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त लाल जी व शिव कुमार अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांकित 04.09.2019 द्वारा साक्षी सिद्धार्थ वर्मा,अपर पुलिस अधीक्षक,हाथरस के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट तथा साक्षी आरक्षी जयचन्द्र के विरुद्ध समन जारी किया गया था किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। साक्षी सिद्धार्थ वर्मा उपरोक्त के सम्बन्ध में रेडियोग्राम से एस0पी0 हाथरस की ओर से यह सूचना दी गयी है कि वे आज उपस्थित होने में असमर्थ है। साक्षी आरक्षी जयचन्द्र के विरुद्ध जारी समन वापस प्राप्त नहीं हुआ है। यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है। उपरोक्त दोनों साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है। साक्षीगण उपरोक्त का उपरोक्त कृत्य उनके असहयोगात्मक एवं अवमाननापूर्ण आचरण को दर्शाता है। साक्षी सिद्धार्थ वर्मा की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण दर्शाया नहीं गया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों में साक्षी सिद्धार्थ वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक,हाथरस के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। साक्षी आरक्षी जयचन्द्र के विरुद्ध पूर्ववत समन जारी किया जाये।

उपरोक्त साक्षीगण के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0इटावा व एस0पी0 हाथरस के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **22.10.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य पेश हो।

इस आदेश की एक एक प्रति एस0एस0पी0इटावा, हाथरस तथा सुयोग्य डी0जी0पी0 लखनऊ व मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को भेजी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

11.10.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं० 144 / 2005

राज्य
बनाम
नवीन खाँ आदि
शाना मरथना, इटावा।

14-10-2019

पनावली पेश हुई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण नवीन खाँ, राजीव कठरिया व रामजीतार उपस्थित आये। अभियुक्त पप्पू की ओर से हजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

इस प्रकरण में पनावली के परीक्षण से विदित होता है कि अभी तक 04 साक्षीगण को परीक्षित किया जा चुका है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा यह बताया गया कि मान विवेक सी०आ० राधेवन्द सिंह राठौर सी०आ०सिटी बदायूँ को परीक्षित किया जाना शेष है। उनके विरुद्ध जारी समन पर यह आख्या आयी है कि समन की मूल प्रति सी०आ०सिटी कायालय बदायूँ में प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त साक्षी सी०आ० राधेवन्द सिंह राठौर, सी०आ०सिटी बदायूँ समन लानीला के बावजूद उपस्थित नहीं आये। उनका यह कृत्य आपत्तिजनक होने के कारण अवमाननपूर्ण भी है और उनके असहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है। यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्रतीतमान मामलों में से एक है किन्तु उक्त साक्षी के उपस्थित न आने के कारण मामलों में अभिम कदावाही बाधित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी सी०आ० राधेवन्द सिंह राठौर सी०आ०सिटी बदायूँ के विरुद्ध निरफलाठी वारंट एवं धारा 350द०K०स० का नोटिस जारी हो। उपरोक्त आदेशिकाओं का लानीला सम्बन्धित एसएसपी इटावा एवं बदायूँ के माध्यम से कराया जाये। उक्त साक्षी की उपस्थिति अभिम लिखि पर सुनिश्चित हो।

पनावली दिनांक 31.10.2019 को वास्तु शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।
आदेश की एक प्रति एसएसपी इटावा, बदायूँ एवं सी० पी० महोदय,
लखनऊ को अज्ञापन हेतु भेजी जाये।

(हसन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं० 2, इटावा।
14.10.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 351 /2016

राज्य

बनाम

धीरेन्द्र आदि

थाना पंचायगांव, इटावा।

23.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्तगण धीरेन्द्र सिंह व अजेन्द्र सिंह व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित है। उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज के लिए स्वीकार किया जाता है।


कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि इस मामले में मात्र साक्षी डिप्टी एस0पी0 विनय कुमार सिंह चौहान को परीक्षित किया जाना शेष है। वे उपस्थित नहीं आ रहे हैं, अतः उनके विरुद्ध समुचित आदेश पारित किया जाये।

उक्त साक्षी श्री विनय कुमार सिंह चौहान के विरुद्ध जारी आदेशिका पर रेडियोग्राम से यह रिपोर्ट आयी है कि आज पुनः उपस्थित होने में असमर्थ हैं।

साक्षी उपरोक्त की अनुपस्थिति का कोई साम्य कारण दर्शित नहीं किया गया है। उनका उपरोक्त कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक एवं अवमानना पूर्ण है। उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस पुनः जारी किया जाये। साथ ही उक्त साक्षी का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध किया जाये। उपरोक्त आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 मथुरा व इटावा के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **13.11.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य पेश हो।

इस आदेश की एक- एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, मथुरा व डी0जी0पी0 लखनऊ तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा अनुपालनार्थ भेजी जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

23.10.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 191 /2003

राज्य

बनाम

सन्तोष आदि

थाना सिविल लाइन,इटावा।

31.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्तगण सत्यवीर व बलवीर व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आये। सन्तोष कुमार अनुपस्थित है। उसकी ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा यह कहा गया कि इस मामले में कां0 क्लर्क पान सिंह, विवेचक किशन चन्द्र तिवारी एवं डा0 एस0के0अग्रवाल को परीक्षित किया जाना शेष है।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है,किन्तु गवाहों के न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

उपरोक्त गवाहान को जरिये समन तलब किया जाये। सम्बन्धित थानाध्यक्ष इस मामले में विशेष रूचि लेकर गवाहान पर समन का तामीला सुनिश्चित करें और उनकी उपस्थिति नियत तिथि पर सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **12.11.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की **एक प्रति एस0एस0पी0 महोदय इटावा व सम्बन्धित थानाध्यक्ष को** अनुपालनार्थ भेजी जाये।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

31.10.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण सं0 29/2018

राज्य बनाम सौरभ उर्फ लालू
थाना-बकेवर, इटावा।

04-11-2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।
अभियुक्त जमानत पर है और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है।


कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

पैरोकार द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि मामले से सम्बन्धित
विवेचक/ साक्षी सी0ओ0 विकास जायसवाल को भेजा गया समन तामील है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में
मात्र विवेचक विकास जायसवाल सी0ओ0 को परीक्षित किया जाना शेष है।
उनके उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी विकास जायसवाल, सी0ओ0 सदर आगरा के
विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 का नोटिस जारी हो।
आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा व एस0एस0पी0 आगरा
के माध्यम से कराया जाये। उपरोक्त साक्षी की उपस्थिति अगली तिथि पर
सुनिश्चित हो।

पत्रावली दिनांक **19.11.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति **एस0एस0पी0 इटावा , एस0एस0पी0 आगरा**
एवं **डी0आई0जी0 आगरा जोन** को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु भेजी जाये।


(**हुसैन अहमद अंसारी**)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण सं0 284/2012

राज्य बनाम अवनीश शर्मा आदि
थाना-चौबिया, इटावा।

05-11-2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।
अभियुक्तगण जमानत पर है और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

पैरोकार द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि साक्षीगण डा0 सुधीर
कुमार वर्तमान तैनाती महिला अस्पताल, आगरा एवं उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राय
वर्तमान तैनाती काइम ब्रांच जनपद कौशम्बी को भेजा गया समन तामील है,
परन्तु वे उपस्थित नहीं आये।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है, किन्तु
साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा
रही है। अतः उक्त साक्षीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350
दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। साक्षीगण के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं का
निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0इटावा, एस0एस0पी0आगरा एवं एस0पी0
कौशम्बी के माध्यम से कराया जाये। उपरोक्त साक्षीगण की उपस्थिति अगली तिथि पर
सुनिश्चित हो।

पत्रावली दिनांक **21.11.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति **एस0एस0पी0 इटावा , एस0एस0पी0 आगरा**
एवं **एस0पी0 कौशम्बी** को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु भेजी जाये।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 251/2015

राज्य बनाम राजेश कुमारआदि
थाना-बकेवर, इटावा।

07-11-2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त राजेश कुमार व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आये। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में कां0 सुरेन्द्र कुमार एवं विवेचक सी0ओ0 श्री विनय चौहान को परीक्षित किया जाना शेष है।

उक्त साक्षीगण को भेजे गये समन इस आख्या के साथ वापस प्राप्त हैं कि कां0 सुरेन्द्र कुमार, वर्तमान तैनाती थाना गंगाघाट, उन्नाव का समन उनके थाना कार्यालय में दाखिल किया गया है। इसी प्रकार सी0ओ0 श्री विनय सिंह चौहान, वर्तमान तैनाती बतौर सी0ओ0 ट्रैफिक, मथुरा के समन की मूल प्रति उनके कार्यालय में दाखिल की गयीं। पत्रावली पर फैंक्स के द्वारा प्राप्त प्रपत्र इस आशय का संलग्न है कि साक्षी विनय सिंह चौहान आज न्यायालय आने में असमर्थ हैं। साथ ही अन्य तिथि नियत किए जाने की याचना भी की गयी है।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है, किन्तु उपरोक्त साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षीगण उपरोक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। साक्षीगण के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा, एस0एस0पी0 मथुरा एवं एस0एस0पी0 उन्नाव के माध्यम से कराया जाये। उपरोक्त साक्षीगण की उपस्थिति अगली तिथि पर सुनिश्चित हो।

पत्रावली दिनांक **26.11.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, एस0एस0पी0 मथुरा एवं एस0एस0पी0 उन्नाव को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु भेजी जाये।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 183/2016

राज्य बनाम अनीस आदि
थाना-भरथना,इटावा।

12-11-2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्ता रूखसाना व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आयी। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में नक्शा नजरी को साबित करने हेतु विवेचक सी.ओ. श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर को परीक्षित किया जाना शेष है। उनके विरुद्ध जारी समन पर यह आख्या आयी है कि उनके आवास पर कां0 दिलीप को एक प्रति प्राप्त करायी गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि साक्षी श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर, सी0ओ0सिटी बदायूं, समन की तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं हैं। यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम वादों में से एक है, किन्तु उक्त साक्षी के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। साक्षी उपरोक्त का यह कृत्य अत्यंत आपत्ति जनक एवं अवमाननापूर्ण है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी सी0ओ0 सिटी बदायूं श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। साक्षी के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित **एस0एस0पी0इटावा, एवं एस0एस0पी0 बदायूं** के माध्यम से कराया जाये। उपरोक्त साक्षी की उपस्थिति अगली तिथि पर सुनिश्चित हो।

पत्रावली दिनांक **27.11.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति **डी0जी0पी0 महोदय, लखनऊ, एस0एस0पी0इटावा, एवं एस0एस0पी0 बदायूं** को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु भेजी जाये।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 351 /2016

राज्य

बनाम

धीरेन्द्र आदि

थाना पंछायगांव, इटावा।

13.11.2019


पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त गजेन्द्र व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित है। उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। सम्बन्धित पैरोकार द्वारा यह आख्या दी गयी है कि साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा पर समन की तामीला है इसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आये है।

साक्षी उपरोक्त की अनुपस्थिति का कोई साम्य कारण दर्शित नहीं किया गया है। उनका उपरोक्त कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक एवं अवमानना पूर्ण है। उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस पुनः जारी किया जाये। साथ ही उक्त साक्षी का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध किया जाये। उपरोक्त आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 मथुरा व इटावा के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **03.12.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य पेश हो।

इस आदेश की एक- एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, मथुरा व डी0जी0पी0 लखनऊ तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा अनुपालनार्थ भेजी जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

13.11.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 01 /2016

राज्य

बनाम

श्रीराम उर्फ देवेन्द्र आदि

थाना बकेवर,इटावा।

14.11.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्तगण उदयवीर व गोलू उपस्थित हैं। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।


विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि कां0 प्रदीप सचान व विवेचक सी0ओ0 श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर वर्तमान तैनाती सी0ओ0सिटी बदायूं को परीक्षित किया जाना शेष है।

साक्षी प्रदीप सचान का समन बाद तामील वापस प्राप्त है किन्तु वह उपस्थित नहीं है। सी0ओ0 श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर को भेजा गया समन पर जरिये फैंक्स एस0एस0पी0 बदायूं का यह निवेदन पत्र आया है कि उपरोक्त साक्षी को आज न्यायालय भेजा जाना सम्भव नहीं है। उन्हें दिनांक 30.11.2019 के बाद की तिथि नियत किए जाने का निवेदन किया है परन्तु उनके उपस्थित न आने के कारण कोई सम्यक कारण दर्शित नहीं है और न यह दर्शित किया गया है कि किन कारणों से दिनांक 30.11.2019 के बाद की तिथि नियत की जाये। साक्षी उपरोक्त का कृत्य अत्यंत आपत्ति जनक व अवमाननापूर्ण है। उनके उपस्थित न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

सम्पूर्ण तथ्यों के दृष्टिगत उपरोक्त साक्षी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जाये। उनके विरुद्ध जारी आदेशिका का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा व बदायूं के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **02.12.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की **एक- एक** प्रति **एस0एस0पी0 इटावा, बदायूं व डी0जी0पी0 लखनऊ** अनुपालनार्थ भेजी जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

14.11.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 22 /2018

राज्य

बनाम

प्रदीप कुमार आदि

थाना सिविल लाइन,इटावा।

28.11.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि सम्बन्धित एस0टी0सं0 23/18 व 24/18 को न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.2.19 द्वारा इस एस0टी0के साथ समेकित किया गया है और इस मामले को लीडिंग वाद बनाया गया है।

इस मामले में अभी तक अभियोजन पक्ष ने 7 साक्षीगण को परीक्षित कराया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि मामले में एस0एच0ओ0 संजय कुमार त्यागी,उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह,उप निरीक्षक होतीलाल व हे0कां0 राजवीर सिंह को परीक्षित किया जाना शेष है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में बेल अप्लीकेशन सं0 3273/18 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 7.3.18 द्वारा इस मामले का विचारण 1वर्ष के भीतर सम्पादित किये जाने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण मामले की कार्यवाही बाधित है।

पैरोकार को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त साक्षीगण का समन तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। साक्षीगण उपरोक्त तलब किए जायें।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर साक्षीगण उपरोक्त का तामीला सुनिश्चित करे ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

पत्रावली दिनांक **10.12.2019** को वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली में रखी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

28.11.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 172/2016

राज्य

बनाम

अनिल कुमार आदि

थाना-ऊसराहार, इटावा।

02.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं और व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।


साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक कां0 किशन पाल को भेजा गया समन तामील आख्या के साथ वापस आया किन्तु वह उपस्थित नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि इस मामले में कां0क्लर्क किशन पाल व सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर को परीक्षित किया जाना शेष है।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है। उपरोक्त साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण मामले की कार्यवाही बाधित है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में कां0क्लर्क किशन पाल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो तथा साक्षी सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर तलब हो।

पत्रावली दिनांक **19.12.2019** को वास्ते शेष अभियोजन साक्षी पेश हो।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित **एस0एस0पी0गण इटावा, मैनपुरी व बदायूं एवं डी0आई0जी0 कानपुर परिक्षेत्र कानपुर** को अनुपालनार्थ भेजी जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

02.12.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 351 /2016

राज्य

बनाम

धीरेन्द्र आदि

थाना पंछायगांव,इटावा।

03.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त गजेन्द्र व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित है। उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। सम्बन्धित पैरोकार द्वारा यह आख्या दी गयी है कि साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान,सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा पर समन की तामीला है इसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं। पूर्व में लगातार उनकी उपस्थिति के लिए आदेश पारित किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किए गये तथा उनका वेतन भी अग्रिम आदेश तक रोका गया है और मुख्य कोषाधिकारी,मथुरा से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह उपरोक्त का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध रखें और अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें, किन्तु कोई भी अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

साक्षी उपरोक्त के उपस्थित न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

साक्षी उपरोक्त की अनुपस्थिति का कोई साम्य कारण दर्शित नहीं किया गया है। उनका उपरोक्त कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक एवं अवमानना पूर्ण है। उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान,सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस पुनः जारी किया जाये। साथ ही उक्त साक्षी का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध किया जाये। उन्हें गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये। उपरोक्त आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा व मथुरा के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **19.12.2019** को वास्ते शेष साक्ष्य पेश हो।

इस आदेश की एक- एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, मथुरा व डी0जी0पी0 लखनऊ,प्रमुख सचिव,उ0प्र0शासन, लखनऊ तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा अनुपालनार्थ भेजी जाये व कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावें।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

03.12.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 58 /2015

राज्य

बनाम

भूरे उर्फ इशरत

थाना बकेवर,इटावा।

05.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

साक्षी डा0 दिनेश सिंह जिला अस्पताल इटावा को भेजा गया समन इस आख्या के साथ वापस प्राप्त है कि उनका स्थानान्तरण के0पी0एम0 चिकित्सालय,कानपुर नगर के लिए हो गया है। इसी साक्षी के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के0पी0एम0 चिकित्सालय कानपुर नगर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांकित 29.11.2019 इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त साक्षी 30 दिसम्बर,2019 तक अवकाश पर है,अतः उसके बाद की कोई तिथि नियत की जाये।

साक्षी उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह पुलिस लाइन,कानपुर देहात के सम्बन्ध में यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि वे दिनांक 29.06.2018 से लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण उपरोक्त का कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक व असहयोगात्मक है। साक्षी उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह यदि दिनांक 29.06.2018 से अनुपस्थित चल रहे हैं तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और वर्तमान में वे कहां हैं, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आख्या नहीं दी गयी।

उपरोक्त साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण इस मामले में अग्रिम कार्यवाही बाधित है। अतः समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्षी वीरेन्द्र सिंह,पुलिस लाइन कानपुर देहात के विरुद्ध **गिरफ्तारी वारण्ट** जारी किया जाये। साक्षी डा0 दिनेश सिंह के विरुद्ध समन जारी हो।

पत्रावली दिनांक **02.01.2020** को वास्तो शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो। साक्षीगण उपरोक्त की हाजिरी न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित की जाये।

इस आदेश की **एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात,मुख्य चिकित्साधीक्षक,कानपुर नगर व डी0जी0पी0 लखनऊ** को अनुपालनार्थ भेजी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

05.12.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 72 /201

राज्य

बनाम

धीरज आदि

थाना बकेवर, इटावा।

07.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्त निदान सिंह जमानत पर है और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। शेष अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

साक्षी सिद्धार्थ वर्मा (विवेचक) को इस मामले में परीक्षित किया जाना शेष है। उनके भेजे गये समन पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक हाथरस के जरिये रेडियोग्राम, यह आख्या आयी है कि वे आज न्यायालय आने में असमर्थ हैं। इस आख्या में उनकी अनुपस्थिति का कोई सम्यक कारण दर्शित नहीं किया गया है। यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है, किन्तु उक्त साक्षी के उपस्थित न आने के कारण मामले की कार्यवाही बाधित है। आदेश दिनांकित 10.07.2019 के द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गयी थी कि वे साक्षी उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करें, परन्तु न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में साक्षी उपरोक्त के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारण्ट व धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी किया जाये, ताकि उपरोक्त की उपस्थित सुनिश्चित की जा सके। आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक हाथरस के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **21.12.2019** को वास्ते शेष साक्ष अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, पुलिस अधीक्षक हाथरस एवं डी0जी0पी0 महोदय, लखनऊ को अनुपालनार्थ भेजी जाये।

डा0 ए0के0उपाध्याय को न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.10.2013 के प्रकाश में अभियोजन साक्षी के रूप में तलब हो।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

07.12.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 206 /2013

राज्य

बनाम

विनोद कुमार सिंह

थाना चौबिया ,इटावा।

13.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्त अनुपस्थित है। उसकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है।

साक्षी श्री भानु प्रकाश सिंह सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी उपस्थित आये।

इस स्तर पर साक्षी उपरोक्त ने यह कहा कि उनका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। आरोप पत्र में विवेचक द्वारा सहवन उनका नाम अंकित कर दिया गया है जिसके कारण उन्हें अभियोजन साक्षी के रूप में दर्शाया गया है।

इस सम्बन्ध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कहा गया है कि साक्षी श्री भानु प्रकाश सिंह का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। आरोप पत्र में सहवन उनका नाम अंकित किए जाने के कारण उनको समन जारी कर दिया गया था,अतःउन्हें डिसचार्ज कर दिया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इन सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रार्थनापत्र 78ख प्रस्तुत किया गया है और यह कहा गया है कि सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी श्री भानु प्रकाश सिंह को डिसचार्ज किया जाये और क्षेत्राधिकारी श्री अरुण कुमार दीक्षित व उप निरीक्षक होतीलाल को साक्ष्य हेतु तलब किया जाये।

बचाव पक्ष की ओर से इस प्रार्थना पत्र पर मौखिक रूप से आपत्ति की गयी।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि क्षेत्राधिकारी श्री अरुण कुमार दीक्षित भी इस मामले में विवेचक रहें हैं। उप निरीक्षक होतीलाल इस मामले के महत्वपूर्ण साक्षी हैं।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी श्री भानु प्रकाश सिंह को डिसचार्ज किया जाता है। साक्षी सी0ओ0 श्री अरुण कुमार दीक्षित व उप निरीक्षक होतीलाल को अभियोजन साक्षी के रूप में तलब किया जाये। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दिनांक **04.01.2020** को वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य पेश हो। समस्त साक्ष्य पेश हो। साक्षी सी0ओ0 श्री मुहम्मद अख्तर के विरुद्ध आदेश दिनांकित 07.09.2019 के अनुसार गिरफ्तारी वारंट जारी हो। शेष अभियोजन साक्षीगण भी तलब हों।

आदेश की एक प्रति **सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक** को अनुपालनार्थ भेजी जाये ,ताकि साक्षीगण उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित हो।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

13.12.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 351 /2016

राज्य

बनाम

धीरेन्द्र आदि

थाना पंचायगांव, इटावा।

19.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त गजेन्द्र व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित है। उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा पर समन की तामीला है, इसके बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे हैं। काफी समय से लगातार उनकी उपस्थिति के लिए आदेश पारित किए रहे हैं। गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किए गये तथा उनका वेतन भी अग्रिम आदेश तक रोका गया है और मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह उपरोक्त का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरूद्ध रखें और अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें, किन्तु कोई भी अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के यहां से पत्र सं0 एसटी-35/2019 दिनांकित 13.12.2019 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को उनके द्वारा पत्र लिखकर निवेदन किया गया है कि उक्त साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद उपरोक्त साक्षी उपस्थित नहीं आया। उनके उपस्थित न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

साक्षी उपरोक्त की अनुपस्थिति का कोई सम्यक कारण दर्शित नहीं किया गया है। उनका उपरोक्त कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक एवं अवमानना पूर्ण है। उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस पुनः जारी किया जाये। साथ ही उक्त साक्षी का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरूद्ध किया जाये। उन्हें गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये। उपरोक्त आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा व मथुरा के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक 10.01.2020 को वास्ते शेष साक्ष्य पेश हो।

इस आदेश की एक- एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, मथुरा व डी0जी0पी0 लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा को अनुपालनार्थ भेजी जाये। वे कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावें।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

19.12.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 206 /2013

राज्य

बनाम

विनोद कुमार सिंह

थाना चौबिया, इटावा।

09.01.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्त अनुपस्थित है। उसकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है।


पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि पूर्व तिथि पर साक्षी सी0ओ0 श्री अरुण कुमार दीक्षित व उप निरीक्षक होतीलाल को समन जारी करने हेतु आदेशित किया गया था। साथ ही अभियोजन साक्षी सी0ओ0 श्री मो0 अख्तर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने हेतु आदेशित किया गया था। उपरोक्त साक्षीगण के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं पर सम्बन्धित थाने अथवा समन सेल से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। सम्बन्धित थाने में तैनात पुलिस कर्मचारियों का यह कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक है तथा उनके असहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है।

उपरोक्त साक्षीगण के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षीगण सी0ओ0 श्री अरुण कुमार दीक्षित व उप निरीक्षक होतीलाल के विरुद्ध समन जारी हो। साक्षी सी0ओ0 श्री मुहम्मद अख्तर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हो। आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **28.01.2020** को वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य पेश हो। समस्त साक्ष्य पेश हो।

आदेश की एक प्रति **सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा व डी0जी0पी0 लखनऊ** को अनुपालनार्थ भेजी जाये, ताकि साक्षीगण उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

09.01.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 183/2016

राज्य बनाम अनीस आदि
थाना-भर्थना,इटावा।

09-01-2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्ता रूखसाना व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आयी। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।


विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में नक्शा नजरी को साबित करने हेतु विवेचक सी.ओ. श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर को परीक्षित किया जाना शेष है। उनके विरुद्ध जारी समन पर पूर्व तिथि पर यह आख्या आयी कि उनके आवास पर कां0 दिलीप को एक प्रति प्राप्त करायी गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि साक्षी श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर, सी0ओ0सिटी बदायूं, समन की तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं आ रहे हैं। यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम वादों में से एक है, किन्तु उक्त साक्षी के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। साक्षी उपरोक्त का यह कृत्य अत्यंत आपत्ति जनक एवं अवमाननापूर्ण है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी सी0ओ0 सिटी बदायूं श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। इसके अतिरिक्त उनका वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक रोका जाये। साक्षी के विरुद्ध जारी आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित **एस0 एस0पी0इटावा, एवं एस0एस0पी0 बदायूं** के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **31.01.2020** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति **डी0जी0पी0 महोदय, लखनऊ, एस0एस0पी0इटावा, एस0एस0पी0 बदायूं एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं** को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु भेजी जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 72 /201

राज्य

बनाम

धीरज आदि

थाना बकेवर ,इटावा।

13.01.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्त निदान सिंह जमानत पर है और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। शेष अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

इस स्तर पर वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और उनके द्वारा प्रार्थनापत्र 28ख पर बल दिया गया।

प्रार्थना पत्र 28ख,धारा 216 दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 23.10.2013 से लम्बित चल रहा है। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 23.10.2013 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि इस प्रार्थनापत्र पर विचार करने से पूर्व डा0 ए0के0उपाध्याय को परीक्षित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व तिथि पर डा0 ए0के0 उपाध्याय को तलब करने हेतु आदेश पारित किया गया किन्तु सम्बन्धित पैरोकार ने डा0 ए0के0 उपाध्याय के सम्बन्ध में समन तैयार कर जारी नहीं कराया है। अतः **डा0 ए0के0 उपाध्याय** को पुनः अभियोजन साक्षी के रूप में तलब हों।

साक्षी सिद्धार्थ वर्मा (विवेचक) वर्तमान अतिरिक्त एस0पी0 हाथरस को भेजा गया समन इस आख्या के साथ वापस प्राप्त है कि उन्हें ई-मेल के द्वारा सूचित किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 07.12.2019 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए साक्षी उपरोक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 जारी किया गया किन्तु सम्बन्धित पैरोकार ने आदेश के अनुपालन में वांछित आदेशिकाएं तैयार नहीं की। कार्यालय द्वारा भी वारण्ट एवं धारा 350दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया है। यह तथ्य आपत्तिजनक है।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम मामलों में से एक है, किन्तु उक्त साक्षी के उपस्थित न आने के कारण मामले की कार्यवाही बाधित है। आदेश दिनांकित 07.12.2019 के द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गयी थी कि वे साक्षी उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करें, परन्तु न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में साक्षी उपरोक्त के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारण्ट व धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी किया जाये, ताकि उपरोक्त साक्षी की उपस्थित सुनिश्चित की जा सके। आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक हाथरस के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **20.02.2020** को वास्ते शेष साक्ष अभियोजन पेश व निस्तारण प्रार्थना पत्र 28ख पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, पुलिस अधीक्षक हाथरस एवं डी0जी0पी0 महोदय, लखनऊ को अनुपातनार्थ भेजी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

13.01.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 24/2017

राज्य

बनाम

यश कुमार आदि

थाना सिविल लाइन,इटावा।

17.01.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि इसक मामले में अभी तक अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0-1 महिला कां0 रामा देवी एवं पी0डब्लू0-2 इन्सपेक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह को परीक्षित किया गया है। यह मामला सामूहिक बलात्कार से सम्बन्धित है और अभी तक पीड़िता लालवती को परीक्षित नहीं कराया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि पीड़िता दिए गये पते पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में समन वास्ते 29.11.18 पर थाने की आख्या के साथ सम्बन्धित ग्राम के प्रधान की आख्या दिनांकित 28.11.2019,पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः सम्बन्धित विवेचक को आदेशित किया जाये कि वे पीड़िता को न्यायालय के समक्ष पेश करे।

मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विवेचक सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर को आदेशित किया जाता है कि वे पीड़िता **लालवती पत्नी रामदुलारे जाटव निवासी चांदन कोठी इकदिल,इटावा** की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करें।

साथ ही शेष साक्षी डा0 श्रुति सिन्हा साक्ष्य हेतु तलब हों।

पत्रावली दिनांक **31.01.2020** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति,उपरोक्त साक्षीगण के समन के साथ **एस0एस0पी0इटावा** व सम्बन्धित विवेचक उपरोक्त को अनुपालनार्थ भेजी जाये ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

17.01.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 351 /2016

राज्य

बनाम

धीरेन्द्र आदि

थाना पंचायगांव, इटावा।

17.01.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से दाखिल हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा पर समन की तामीला है, इसके बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे हैं। काफी समय से लगातार उनकी उपस्थिति के लिए आदेश पारित किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किए गये तथा उनका वेतन भी अग्रिम आदेश तक रोका गया है और मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे साक्षी उपरोक्त का वेतन न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध रखें और अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें, किन्तु कोई भी अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के यहां से पत्र सं0 एसटी-35/2019 दिनांकित 13.12.2019 पूर्व में प्राप्त हुआ जिसके अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को उनके द्वारा पत्र लिखकर निवेदन किया गया है कि उक्त साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद उपरोक्त साक्षी उपस्थित नहीं आया। उनके उपस्थित न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

साक्षी उपरोक्त की अनुपस्थिति का कोई सम्यक कारण दर्शित नहीं किया गया है। उनका उपरोक्त कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक एवं अवमानना पूर्ण है। उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी डिप्टी एस0पी0 श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सी0ओ0 ट्रैफिक जिला मथुरा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस पुनः जारी किया जाये। साथ ही उक्त साक्षी का वेतन पूर्व आदेशानुसार न्यायालय के अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध किया जाये। उन्हें गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये। उपरोक्त आदेशिकाओं का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा व मथुरा के माध्यम से कराया जाये।

पत्रावली दिनांक **11.02.2020** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक- एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, मथुरा व डी0जी0पी0 लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा को अनुपालनार्थ भेजी जाये। वे कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावें।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 66 / 2016

राज्य बनाम संजय कुमार दुबे
थाना-चौबिया, इटावा।

29-01-2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं। अभियुक्त अनुपस्थित है। उसकी ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में साक्षी सेवानिवृत्त श्री राम कृपाल भारती को परीक्षित किया जाना शेष है। पूर्व में उक्त साक्षी को जारी समन इस आख्या के साथ प्राप्त हुआ था कि वे बीमार हैं। इस कारण आने में असमर्थ हैं, परन्तु सम्बन्धित साक्षी की ओर से समय हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह मामला इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम वादों में से एक है, किन्तु उक्त साक्षी के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी सी0ओ0 सेवानिवृत्त श्री रामकृपाल भारती के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और आदेशिका का निष्पादन सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा व एस0एस0पी0 प्रयागराज के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया।

साक्षी उपरोक्त के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट पर समन सेल इटावा में तैनात आदेश वाहक हे0कां0 कमल किशोर तिवारी ने यह आख्या दी है कि वे एस0एस0पी0 प्रयागराज के कार्यालय में न्यायालय के आदेश के साथ आदेशिका को लेकर गया किन्तु वहां पर मौजूद कर्मचारी द्वारा लेने से मना कर दिया गया और उसने स्वयं को स्टेनो बताया और न्यायालय के आदेश को फेंक दिया और कहा कि समन सेल जाओ। यह भी कहा कि बहुत आदेश देखें हैं। साथ ही उसने उसे निकल जाने को कहा और यह कहा कि उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दो। इसके बाद वह एस0एस0पी0 महोदय के रीडर के पास गया तो उन्होंने कहा कि समन सेल में दे दीजिए तब उसने आदेशिका को समन सेल में दे दिया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका व आदेश का अनुपालन एस0एस0पी0 प्रयागराज के द्वारा नहीं किया गया बल्कि उनके कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने न्यायालय के आदेश के प्रति असम्मान की भावना व्यक्त की। उपरोक्त कृत्य अवमाननपूर्ण होने के साथ साथ आपत्ति जनक भी है। इन परिस्थितियों में सम्बन्धित एस0एस0पी0 प्रयागराज से अपेक्षित है कि वे उक्त मामले में अपने स्तर से जांच कर सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करें और इस न्यायालय को अवगत करावें। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि वे उक्त साक्षी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही हो सके।

साक्षी सी0ओ0 सेवानिवृत्त श्री रामकृपाल भारती के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी हो।

पत्रावली दिनांक **24.02.2020** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, एस0एस0पी0 प्रयागराज तथा डी0जी0पी0 महोदय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु बन्द लिफाफे में भेजी जाये।

(हुसैन अहमद खंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 66/2016

राज्य बनाम भूपेन्द्र सिंह आदि
थाना-वैदपुरा,इटावा।

03.02.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित आये।

अभियुक्त सोनू को जिला कारागार,मुरैना (म0प्र0) से हे0कां0 101 बलवीर सिंह द्वारा पेश किया गया। वह इस मामले में जमानत पर है। अभियुक्त धर्मवीर जमानत पर है और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। अभियुक्त राहुल वर्मा को जिला कारागार,इटावा से पेश नहीं किया गया।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कहा गया है कि कां0 प्रदीप कुमार के उपलब्ध न होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक व जी0डी0 को साबित कराने हेतु द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कां0 अरविन्द को परीक्षित किया जाना है। अन्य साक्षी महावीर जो किसी अन्य मामले में जिला कारागार फिरोजाबाद में निरूद्ध है,को भी परीक्षित कराना है।

इस प्रकरण में पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त सोनू को नियत तिथियों पर पेश न किए जाने के कारण इस मामले की कार्यवाही बाधित है। पूर्व में कई तिथियों से उसे न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। हे0कां0 बलवीर सिंह द्वारा बताया गया कि बल उपलब्ध न होने के कारण अभियुक्त को नियत तिथियों पर पेश किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।


पत्रावली पर सम्बन्धित जिला कारागार अधीक्षक,मुरैना के द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पूर्व तिथियों पर बल के उपलब्ध न होने के कारण अभियुक्त को पेश नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है और न्यायालय के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाया जा रहा है।

उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों में यह आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त सोनू को इस मामले में प्रत्येक तिथि पर पेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

अभियुक्तगण अभिजीत वर्मा व भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट व उनके जामिनान को नोटिस जारी किया जाये।

पत्रावली दिनांक **17.02.2020** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो। साक्षीगण तलब हों। अभियुक्त राहुल वर्मा को अगली तिथित हेतु जिला कारागार,इटावा से तलब किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति **जिला कारागार, मुरैना** को भेजी जाये।


(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

03.02.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 06/2017

राज्य

बनाम

अर्जुन सिंह आदि

थाना-कोतवाली, इटावा।

13.02.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित आये।

अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

अभियोजन साक्षी राजकुमार को भेजा गया समन बजातख़ास तामील की आख्या के साथ प्राप्त है, किन्तु उसकी व उसकी पत्नी ज्योति की ओर से संयुक्त रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र 21ख प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि इस मामले में दिनांक 09.10.2018 को आरोप विरचित किया गया किन्तु अभी तक अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों में साक्षीगण उपरोक्त की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि साक्षीगण उपरोक्त की उपस्थिति अगली नियत तिथि पर सुनिश्चित करायें ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही हो सके। साक्षीगण उपरोक्त तलब हों। प्रथमतः वादिनी ज्योति को न्यायालय में पेश किया जाये। अन्य साक्षीगण भी तलब हों।

पत्रावली दिनांक **06.03.2020** को पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुपालनार्थ भेजी जाये।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

13.02.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 22/2018

राज्य बनाम प्रदीप कुमार आदि
थाना-सिविल लाइन,इटावा।

19.02.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि सम्बन्धित एस0टी0सं0 23/18 व 24/18 को न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.2.19 द्वारा इस एस0टी0के साथ समेकित किया गया है और इस मामले को लीडिंग वाद बनाया गया है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं आये।

पी0डब्लू0-10 पी0डब्लू0-10 उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह की परीक्षा अभी जारी है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह व डा0 विकास अग्निहोत्री तथा विवेचक एस0एच0ओ0 संजय त्यागी को परीक्षित किया जाना शेष रह गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन सं0 3273/18 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 7.3.2018 द्वारा इस सत्र परीक्षण को एक साल के भीतर निस्तारित करने हेतु प्रयास करने के लिए आदेशित किया गया है। साक्षीगण उपरोक्त के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट हेतु विवेचक उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह को आदेशित किया गया था कि वे आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ की आख्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त कर प्रस्तुत करें परन्तु उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है। आज वे उपस्थित भी नहीं हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी पी0डब्लू0-10 उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट व धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। शेष साक्षीगण डा0 विकास अग्निहोत्री एवं एस0एच0ओ0 संजय त्यागी को समन जारी हो। साक्षीगण उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

पत्रावली दिनांक 29.02.2020 को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,इटावा को अनुपालनार्थ प्राप्त करायी जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली में रखी जाये।



(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

19.02.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2,इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 24/2017

राज्य

बनाम

यश कुमार आदि

थाना-सिविल लाइन,इटावा।

26.02.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित आये।

अभियुक्त राहुल वर्मा जमानत पर हैं और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया। अभियुक्त यश कुमार अनुपस्थित है और उसकी ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

साक्षी श्रीमती लालवती को भेजा गया समन इस आख्या के साथ वापस प्राप्त हुआ कि दिए गये पते पर दो वर्ष तीन माह से उपलब्ध नहीं है। ग्राम प्रधान की तहरीर भी साथ में संलग्न है। पूर्व तिथि पर साक्षी श्रीमती लालवती (वादिनी व पीड़िता) पर समन का तामीला सुनिश्चित कराने हेतु विवेचक सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर को आदेशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि वादिनी दिए गये पते पर उपलब्ध नहीं है और उसका वर्तमान पता पत्रावली पर नहीं है। ऐसी दशा में उसका परीक्षित होना सम्भाव्य नहीं लगता है। अतः अभियोजन के अन्य साक्षीगण को परीक्षित किया जाना आवश्यक होगा।

यह मामला आज पी0डब्लू0-3 सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर के अग्रिम जिरह हेतु नियत है और उन्हें आज के लिए आबद्ध भी किया गया था परन्तु वे भी उपस्थित नहीं है। उनके उपस्थित न आने के कारण मामले की कार्यवाही बाधित है। पैरोकार द्वारा बताया गया कि दूरभाष पर साक्षी उपरोक्त के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्हें सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक बदायूं के द्वारा न्यायालय आने की अनुमति नहीं दी गयी है। साक्षी उपरोक्त एवं पुलिस अधीक्षक बदायूं का उपरोक्त कृत्य आपत्तिजनक होने के साथ साथ अवमाननपूर्ण भी है और उनके न्यायालय के प्रति असहयोगात्मक रवैया को दर्शाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी पी0डब्लू0-3 सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं साक्षी उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करें और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि न्यायालय के आदेश के बावजूद पी0डब्लू0-3 उपरोक्त की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित क्यों नहीं की गयी और उन्हें आने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी गयी। साथ यह भी स्पष्ट करें कि उनके इस अवमाननापूर्ण कृत्य के लिए उनके विरुद्ध क्यों न समुचित कार्यवाही की जाये।

पत्रावली दिनांक **12.03.2020** को वास्ते जिरह पी0डब्लू0-3 सी0ओ0 राघवेन्द्र सिंह राठौर व शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा, बदायूं व डी0जी0पी0 महोदय लखनऊ को अनुपालनार्थ भेजी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

26.02.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 22/2018

राज्य

बनाम

प्रदीप कुमार आदि

थाना-सिविल लाइन, इटावा।

29.02.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं और अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि सम्बन्धित एस0टी0सं0 23/18 व 24/18 को न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.2.19 द्वारा इस एस0टी0के साथ समेकित किया गया है और इस मामले को लीडिंग वाद बनाया गया है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं आये।

पी0डब्लू0-10 उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह की परीक्षा अभी जारी है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह व डा0 विकास अग्निहोत्री तथा विवेचक एस0एच0ओ0 संजय त्यागी को परीक्षित किया जाना शेष रह गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन सं0 3273/18 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 7.3.2018 द्वारा इस सत्र परीक्षण को एक साल के भीतर निस्तारित करने हेतु प्रयास करने के लिए आदेशित किया गया है। साक्षीगण उपरोक्त के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही बाधित है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट हेतु विवेचक उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह को आदेशित किया गया था कि वे आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ की आख्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त कर प्रस्तुत करें परन्तु उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है। आज वे उपस्थित भी नहीं हैं। पूर्व तिथि पर भी वे उपस्थित नहीं थे। उनके द्वारा मामले के त्वरित निस्तारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनका यह कृत्य आपत्तिजनक होने के साथ साथ अवमाननापूर्ण भी है।

पूर्व तिथि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा से अपेक्षा की गयी थी कि वे साक्षीगण उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करें परन्तु उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है। पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार साक्षी उपरोक्त का समन सम्बन्धित थाने से प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षी पी0डब्लू0-10 उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह डीसीआरबी पुलिस लाइन, इटावा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट व धारा 350 दंड0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। शेष साक्षीगण डा0 विकास अग्निहोत्री एवं एस0एच0ओ0 संजय त्यागी को समन जारी हो। साक्षीगण उपरोक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

पत्रावली दिनांक **19.03.2020** को वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा व डी0आई0जी0 कानपुर परिक्षेत्र कानपुर को अनुपालनार्थ भेजी जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली में रखी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0)एक्ट

न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

29.02.2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष
संख्या-2, इटावा।

सत्र परीक्षण सं0 59 /2017

राज्य

बनाम

अमित कुमार आदि

थाना जसवन्तनगर, इटावा।

12.03.2020

पत्रावली पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। उनकी ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है।

कोई भी अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं है।

साक्षी एस.एच.ओ. दीपक दुबे थाना वजीर गंज, लखनऊ के विरुद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 350 दं0प्र0सं0 पर पूर्व तिथि पर यह आख्या आयी थी कि नोटिस की प्रति थाना कार्यालय में दाखिल की गयी थी। आज पुनः यही आख्या आयी है कि नोटिस की प्रति कार्यालय पर दाखिल की गयी है इसके बावजूद साक्षी उपस्थित नहीं आया।

सम्बन्धित थाने के पैरोकार द्वारा यह बताया गया कि साक्षी उपरोक्त के विरुद्ध लगातार काफी समय से समन व नोटिस जारी किया जा रहा है। पर्याप्त सूचना के बावजूद भी उपरोक्त साक्षी उपस्थित नहीं आ रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि इस मामले में दिनांक 21.08.2018 को आरोप विरचित किया गया, किन्तु अभी तक अभियोजन ने किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है। साक्षी उपरोक्त मामले का वादी है, किन्तु उसके उपस्थित न आने के कारण मामले की अग्रिम कार्यवाही बाधित है। उपरोक्त साक्षी का उक्त कृत्य अवमाननपूर्ण के साथ-साथ अत्यंत आपत्तिजनक भी है और उसके असहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व तिथि पर उक्त साक्षी के गिरफ्तारी वारण्ट एवं धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस के निष्पादन व तामीला हेतु सम्बन्धित एस0एस0पी0 इटावा को आदेशित किया गया था परन्तु अभी तक उक्त साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गयी है।

सम्पूर्ण परिस्थितियों में साक्षी एस.एच.ओ. दीपक दुबे थाना वजीर गंज, लखनऊ के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारण्ट व धारा 350 दं0प्र0सं0 के तहत नोटिस जारी हो। उपरोक्त साक्षी की उपस्थिति अगली नियत को सुनिश्चित की जाये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आदेशित किया जाता है कि वे स्पष्ट करें कि पूर्व आदेश का पालन न करने के कारण उनके विरुद्ध क्यों न समुचित कार्यवाही की जाये।

पत्रावली दिनांक 27.03.2020 को वास्ते साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

इस आदेश की एक प्रति एस0एस0पी0 इटावा, लखनऊ व डी0जी0पी0 लखनऊ को अनुपालनार्थ भेजी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट
न्यायालय कक्ष सं0 2, इटावा।

12.03.2020